न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1135 / 2026

विनोद राय वगैरह बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या–691 / 2025

अधीन धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 324(4), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट।

20-06-2026

हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या–691 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 324(4), 352, 351(2) एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **विनोद राय उम्र–65 वर्ष पेसर–रामप्रीत राय, रजनीश कुमार उम्र–28 वर्ष पेसर–विनोद राय, जय मंगल राय उम्र–45 वर्ष पेसर–स्व0 रामप्रीत राय, संजीत राय उम्र–50 वर्ष पेसर–जय मंगल राय एवं प्रमोद कुमार उर्फ ललुन राय उम्र–51 वर्ष पेसर–रामप्रीत राय** सभी साकिन–रामचौड़ा, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री गौतम कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–09.06.2025 को समय 09.20 बजे सूचक साकिन–मगरहट्टा स्थित मोहन राय के घर से गृहप्रवेश का भोज खाकर अपने भाई सुधीर कुमार एवं गांव के बगल वाले गांव कोनहारा घाट के मुन्ना राय के साथ अपने–अपने घर के लिए जा रहे थे तो रामचौड़ा के निकट महरानी स्थान के पास पहले से घ ात लगाकर बैठे अरूण राय, विनोद राय, ललून राय उर्फ प्रमोद राय, जय मंगल राय, नितीश कुमार, रजनीश राय, संजीत राय, मनोज राय, अमित राय एवं रौशन कुमार सभी हाथ में डण्डा, लोहे का रड, रिवॉल्वर एवं लाठी से उन तीनों के उपर जान मारने के नियत से सर पर चलाया। बचने हेतु जब सूचक अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया तो नितिश, संजीत, रणजीत तीनों मिलकर उसे मारते–मारते लोहे के रड से उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। सूचक का भाई सुधीर कुमार के उपर अमित राय, मनोज राय, जयमंगल राय, अजय राय सभी मिलकर लोहे के रड एवं लाठी से जान मारने के नियत से उसके पूरा शरीर पर वार किया। अजय राय पिस्टल से फायरिंग करने लगा एवं संजीत राय अपने हाथ में लिये रायफल के बट से मारने लगा। उसे बचाने के क्रम में बॉया हाथ के दो अंगुली के गाशा में मार दिया। सूचक का भाई जख्मी होकर नीचे गिर गया। सूचक के साथ गॉव के बगल के गॉव कोनहारा घाट के मुन्ना राय भी थे। उन्हें भी लाठी–डण्डा से पिटने लगा एवं हसुआ से प्रहार किया तो बॉया पैर की एड़ी के उपर लगा जिससे उस जगह से खून बहने लगा। सूचक उसी जगह जख्मी होकर गिर गया। सभी अभियुक्तगण मिलकर फायरिंग करने लगे और बोलने लगे कि देखते हैं कौन बालू निकालने नहीं देता है। पुलिस के आने के बाद अभियुक्तगण भाग गये। सूचक के मोटरसाईकिल को

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1135/2026

विनोद राय वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

20.06.2026

चूर–चूर कर दिये जिसका रजि0 नं0 बी0आर0 01 ए0सी0 5612 है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवकता **श्री गौतम कुमार** का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण विनोद राय, रजनीश कुमार एवं जय मंगल राय के विरूद्व 12 कांडों का और आवेदकगण संजीत राय एवं प्रमोद कुमार उर्फ ललुन राय के विरूद्व 03 काडों का आपराधिक इतिहास है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–692/2025 का पलटा मुकदमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले के सह अभियुक्तगण को नियमित जमानत आवेदन सं0–72/2026 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2026 एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1884/2025 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2026 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है और आवेदकगण का मामला जमानत प्राप्त अभियुक्तों के मामले के समान है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 107 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के रड सूचक का दाहिना हाथ तोड़ देने, सूचक के भाई सुधीर कुमार को लोहे के रड एवं लाठी से जान मारने के नियत से उसके शरीर पर वार करने, पिस्टल से फायरिंग करने एवं रायफल के बट से मारने, मुन्ना राय को लाठी–डण्डा से मारपीट कर हसुआ से बॉया पैर की एड़ी के उपर प्रहार करने और मोटरसाईकिल को क्षतिग्रस्त कर देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06, 07 एवं 08 एवं में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 28 एवं 30 से विदित होता है कि जख्मी रणधीर कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का पाया गया है लेकिन उक्त जख्म उसके शरीर के किसी संवेदनशील अंग पर नहीं है और जख्मी मुन्ना राय को चिकित्सक द्वारा उसके शरीर की सतह पर कोई बाहरी चोट नहीं पाया गया है और जख्मी सुधीर कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 06 से विदित होता है कि यह मामला हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–692/2025 का पलटा मुकदमा है। मूल अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है जिसका समर्थन आज सुनवाई के क्रम में जख्मी रणधीर कुमार (सूचक) एवं उसके पिता नागेन्द्र राय द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण विनोद राय, रजनीश कुमार एवं जय मंगल राय के विरूद्व 12 कांडों का और आवेदकगण संजीत राय एवं प्रमोद कुमार उर्फ ललुन राय के विरूद्व 03 काडों का आपराधिक

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1135 / 2026

विनोद राय वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

20.06.2026

इतिहास है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्तगण को नियमित जमानत आवेदन सं0–72 / 2026 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2026 एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1884 / 2025 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2026 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदकगण किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदकगण किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदकगण द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदकगण का जमानत रद्द करने और आवेदकगण को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदकगण का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदकगण उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official